भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1708

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

जेएसजेबी पहल के अंतर्गत वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण

1708. श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत:

श्री राजेश रंजन:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जल संचयन, जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल के अंतर्गत दस लाख वर्षा जल संचयन, संरचनाओं का निर्माण करने की कोई ठोस कार्यनीति है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस पहल के अंतर्गत किसी विशिष्ट क्षेत्र या जल संकटग्रस्त जिलों को प्राथमिकता दी गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भूजल पुनर्भरण और संरक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने में इन वर्षा जल संचयन संरचनाओं की प्रभावशीलता का आकलन करने संबंधी निगरानी और मूल्यांकन तंत्र क्या हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए:सीटीआर) अभियान के एक भाग के रूप में जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल शुरू की गई है जिसमें देशभर में कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। सरकार ने इस पहल के अंतर्गत कम से कम एक मिलियन कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए एक अभिसारी दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत), पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), प्रतिपूरक वनीकरण निधि (सीएएमपीए), वित्त आयोग अनुदान, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) योगदान आदि जैसी योजनाओं से संसाधनों का लाभ उठाना शामिल है। इससे कन्वर्जेंट फंडिंग तालमेल और अधिकतम प्रभाव सुनिश्चित है। जल संचय जन भागीदारी पहल का उद्देश्य पूरे-समाज और सरकार के समग्र दृष्टिकोण का पालन करते हुए सामूहिक प्रयासों के माध्यम से जल की हर बूंद का संरक्षण करना है।

(ख): इस पहल के अंतर्गत किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा जल की कमी वाले जिलों को प्राथमिकता नहीं दी गई है। यह पहल देश भर के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों पर केंद्रित है इसमे दीर्घकालिक

स्थिरता सुनिश्चित करने वाले विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट जल चुनौतियों के अनुरूप लागत प्रभावोत्पादकता और स्थानीय समाधानों को प्रोत्साहित किया गया है।

(ग): सरकार द्वारा जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए सुदृढ़ मानीटरिंग और मूल्यांकन तंत्र कार्यान्वित किए गए हैं। जल संचय डैशबोर्ड बनाया गया है जिसका उपयोग पुनर्भरण संरचनाओं के जियो-टैग किए गए डेटा के साथ उनके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एवं उनकी प्रगति और स्थानों पर नज़र रखने के लिए किया जाता है। निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) से नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। ये अधिकारी, डैशबोर्ड पर डेटा को समय पर और उसका सटीक अद्यतन सुनिश्चित करने के लिए, जिला नोडल अधिकारियों के सहयोग से काम करते हैं। इसके अतिरिक्त, आंकडों की सत्यनिष्ठा और जवाबदेही बनाए रखने के लिए, निर्मित पुनर्भरण संरचनाओं का 1%, सीजीडब्ल्यूबी और सीडब्ल्यूसी नोडल अधिकारियों द्वारा सत्यापन और परीक्षण के अध्यधीन होगा। ये उपाय जेएसजेबी पहल के कार्यान्वयन में पारदर्शी, जवाबदेह और डेटा-संचालित शासन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

भारत के गतिशील भूजल संसाधनों का मूल्यांकन राज्य सरकारों और सीजीडब्ल्यूबी के सहयोगात्मक प्रयास के माध्यम से प्रत्येक वर्ष किया जाता है। गतिशील भूजल संसाधनों के आवधिक आंकलन से, देश की सभी मूल्यांकन इकाइयों में विभिन्न हितधारकों को वार्षिक पुनःपूर्ति, उपयोग और भूजल की समग्र पहुंच से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है।

*****